न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त जयपुर

अपील संख्या 03/2022, जिला सीकर

1. रूडाराम गुर्जर पुत्र नाथूराम गुर्जर, उम्र 80 वर्ष राधेश्याम रैगर पुत्र नन्दा
2. सुल्तानराम गुर्जर पुत्र नाथूराम गुर्जर, उम्र 70 वर्ष
3. इन्द्राज गुर्जर पुत्र घीसाराम गुर्जर, उम्र 33 वर्ष,
4. माली देवी पत्नी घीसाराम गुर्जर उम्र 60 वर्ष

समस्त जाति गुर्जर निवासीयान ढाणी होलालकी, दीपवास तहसील नीम का थाना जिला सीकर।

–अपीलान्ट्स

बनाम

1. उपखण्ड अधिकारी नीम का थाना जिला सीकर।
2. राजस्थान सरकार तहसीलदार, तहसील नीम का थाना, जिला सीकर।

–रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर निर्णय दिनांक 12.11.2021

उपस्थित–

1. श्री हेमेन्द्र सिंह राणावत, वकील अपीलान्ट
2. श्री चन्द्रशेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट नं. 1 व 2 की ओर से।

निर्णय

दिनांक –03.07.2023

1. यह अपील राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी खण्डेला जिला सीकर के निर्णय दिनांक 12.11.2021 के खिलाफ दिनांक 17.01.2022 को प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य निम्न प्रकार है कि तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर को प्रषासन गांवों के संग अभियान कैम्प दीपावास में आवागमन हेतु सार्वजनिक उपयोग में आ रहे रास्तों का राजस्व अभिलेख में अंकन करने हेतु ग्राम घाटा मय गुवार पटवार मण्डल दीपावास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1904, 1890, 1787, 1745, 1744, 1724 और 1730 में ढाणी होलाकाली से सुणाराम के मकानों तक घाटा मय गुवार तक के रास्ते का प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्षा ट्रेस, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रास्ते के फोटोग्राफ के भेजा। प्रस्तावित प्रचलित रास्ता मौके पर चालू होना व बारहमासी रास्ता मानते हुए उक्त रास्ते को गै0मु0 रास्ता दर्ज करवाने हेतु प्रस्ताव भेजा गया। जिस बाबत् उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर ने अपने निर्णय दिनांक 12.11.2021 को उक्त खसरा नम्बरो में से रास्ता को राजस्व रिकार्ड में अंकन करने के आदेश दिये गये।

3. उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर के उक्त निर्णय दिनांक 12.11.2021 से व्यथित होकर अपीलान्ट रूडाराम पुत्र नाथूराम गुर्जर वगै0 द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर अपील स्वीकार करने एवं अपीलाधीन आदेष उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर 12.11.2021 निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गई है।

4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई । रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 की ओर से श्री चन्द्रषेखर बेनीवाल, राजकीय अधिवक्ता उप.। अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया गया । अपीलांट के योग्य अधिवक्ता व राजकीय अधिवक्ता की बहस सुनी गई ।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

5. अपीलान्ट के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमो में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि ग्राम घाटा मय गुवार पटवार मण्डल दीपावास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1904, 1890, 1787, 1745, 1744, 1724 और 1730 में भूमि स्थित है। जिसमें अपीलार्थीगण खातेदार काश्तकार है, जो अपनी भूमि पर निर्विवाद काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर व पटवारी द्वारा बिना मौके की जॉच किये उक्त विवादित भूमि में रास्ता प्रस्ताव तैयार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर को भेजा जिस पर अधीनस्थ न्यायालय ने भी बिना मौके की जॉच, खातेदारों को नोटिस एवं सुनवाई का अवसर दिये बिना ही रास्ता दर्ज करने के आदेश दिये है। अपीलार्थी के खसरों की जमीन जो कि रास्ते के लिए ली गई है उक्त खसरान की जमीन पर ऐसा कोई पूर्व में रास्ते का कोई भी पगडण्डी व अन्य कोई चालू व बारहमासी कोई रास्ता नहीं था ना ही उक्त रास्ते की कोई आवश्यकता थी, लेकिन रंजिशवश एवं द्वेषभावना से राजनैतिक द्वेषता के कारण जानबूझकर अपीलार्थीगण के खसरों की जमीन लेकर जबरन अन्य काश्तकारों को फायदा पहुंचाने के लिए सरपंच एवं अन्य राजनैतिक व्यक्ति अपने जानकारों को फायदा पहुंचाने के लिए अपीलार्थीगण की कब्जे काश्त की जमीन में से जबरन रास्ता दिलवाया गया है। ग्राम पंचायत ने अनापत्ति प्रमाण पत्र हमें सुनकर नहीं दी। स्थगन आदेष होने के बावजूद भी रास्ते में पत्थर डाले गये हैं। खेत के बीच से रास्ता जानबूझकर निकाल रहे हैं। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना 2016 के प्रावधानों व पहलुओं पर विचार न करते हुये अपीलाधीन आदेश दिनांक 12.11.2021 पारित करने में कानूनी गलती की है, जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विरूद्ध एवं विधिसम्यक नहीं होने से खारिज किये जाने योग्य है। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेष उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर दिनांक 12.11.2021 निरस्त किया जावे।

6. राजकीय अधिवक्ता ने भी बहस के दौरान अपील का विरोध करते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि तहसीलदार नीमकाथाना जिला सीकर ने जो रास्ता प्रस्ताव भेजा है उसमें स्पष्ट रूप से अंकित किया है कि प्रस्तावित रास्ता मौके पर प्रचलित है एवं सार्वजनिक रूप से आवागमन हेतु उपयोग में आ रहा है। रास्ते का प्रस्ताव मय राजस्व रिकार्ड एवं नक्षा ट्रेस, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रास्ते के फोटोग्राफ व मौके की जॉच पश्चात् एवं पटवारी हल्का व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट के आधार पर ही अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेष उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है, जिसे यथावत रखते हुये अपील अपीलान्ट खारिज की जावे।

7. हमने प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। उभयपक्ष के योग्य अधिवक्ताओं की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से जाहिर होता है कि पटवारी हल्का, भू.अ. निरीक्षक व तहसीलदार की मौका रिपोर्ट से भी यह स्पष्ट है कि रास्ता मौके पर चालू है, रास्ते में किसी प्रकार का अवरोध नहीं है। रास्ते से सभी प्रकार के साधन व आमजन आ जा सकते हैं। यह रास्ता ग्राम घाटा मय गुवार पटवार मण्डल दीपावास स्थित भूमि खसरा नम्बर 1904, 1890, 1787, 1745, 1744, 1724 और 1730 में ढाणी होलाकाली से सुणाराम के मकानों तक घाटा मय गुवार तक जाता है तथा सार्वजनिक उपयोग में आ रहा है जिससे माना जा सकता है कि राजस्व रिकार्ड में रास्ते के रूप में दर्ज एवं मौके पर प्रचलित रास्ते को ही राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर द्वारा इस संबंध में राजस्व रिकार्ड एवं नक्षा ट्रेस, ग्राम पंचायत का प्रस्ताव, अनापत्ति प्रमाण पत्र, रास्ते के फोटोग्राफ का अवलोकन करने के पश्चात राज0 भू-राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 131 व 132 तथा राजस्थान भू-राजस्व अभिलेख नियम 1957 के नियम 58, 59, 60 व 66 के प्रावधानों के अनुसार

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

तहसीलदार नीमकाथाना के द्वारा प्रस्तावित संलग्न प्रस्ताव के आधार पर रास्ते का निर्णय पारित किया गया है, इससे खातेदारी अधिकार प्रभावित नहीं होते हैं। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर उचित एवं विधिसम्यक है इसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपील स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है।

अतः आदेश है कि: अपील अपीलांट निरस्त की जाती है। तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर का निर्णय दिनांक 12.11.2021 यथावत रखा जाता है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

3/7/23.

(असलम शेर खान)
अति. संभागीय आयुक्त,
जयपुर

Scanned by CamScanner